दिनांक 27.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 34/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना दुबग्गा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.09.2024 को थाना दुबग्गा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाजनगर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना दुबग्गा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजय निवासी सत्यम सिटी थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ, स्थाईपता मोतीनगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

जनपद बांदा/थाना कालिंजर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.09.2024 को थाना कालिंजर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामनगर तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनु उर्फ प्रभात को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कालिंजर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनु उर्फ प्रभात निवासी महारथी टोला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना गुजैनी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **05 हजार 600 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.09.2024 को थाना गुजैनी, थाना नौबस्ता, थाना बर्रा, थाना बाबूपुरवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टाम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सतेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, 05 हजार 600 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गुजैनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतेन्द्र निवासी शिवपुरम कोयला नगर थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—05 हजार 600 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना राजातालाब

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी टाटा जेस्ट कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 27.09.2024 को थाना राजातालाब व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टाम द्वारा सूचना के आधार पर मातलदेई चौराहा के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजकुमार घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी टाटा जेस्ट कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.09.2024 को थाना राजातालाब क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना राजातालाब पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद कार लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना राजातालाब पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजकुमार निवासी पचाई जक्खिनी थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–लूटी गयी टाटा जेस्ट कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना दुबग्गा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 54 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया, 01 तीन पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2024 को थाना दुबग्गा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आम्रपाली योजना के खाली मैदान से 03 अभियुक्तों 1–बब्लू उर्फ कलीम 2–कल्लू उर्फ राजू 3–मुन्ना उर्फ इमरान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 54 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया, 01 तीन पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना दुबग्गा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बब्लू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त कल्लू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त मुन्ना के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बब्लू उर्फ कलीम निवासी शाहपुर भमरौली थाना दुबग्गा कमिश्नरेट लखनऊ।

2—कल्लू उर्फ राजू निवासी मायावली मोड़ कृष्ण विहार कॉलोनी थाना इन्दिरानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

3—मुन्ना उर्फ इमरान निवासी विशाल सिटी थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी के 54 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया, 01 तीन पहिया वाहन आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना जसराना

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 स्विफ्ट कार आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2024 को थाना जसराना पुलिस टाम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा जसराना चौराहा के पास कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शिवम 2—अनुज 3—अमन घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जसराना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम निवासी श्यामनगर नई मंडी थाना फ्रेंडस कॉलोनी जनपद इटावा।

2–अनुज निवासी आरटीओ आफिस काशीराम कॉलोनी थाना इकदिल जनपद इटावा।

3–अमन निवासी बिरन पंसारी थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगी

1–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 स्विफ्ट कार आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 26/27.09.2024 को थाना बुढ़ाना पुलिस टाम द्वारा सूचना के आधार पर हुसैनपुर मंदवाडा चौराहा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त समरेज घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—समरेज निवासी नगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कपसेठी</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख 25 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 14 हजार 150 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2024 को थाना कपसेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेवापुरी रेलवे स्टेशन के पास से 03 अभियुक्तों 1—मनोज कुमार 2—गोलू 3—बुद्धिराम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख 25 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, चोरी के 14 हजार 150 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कपसेठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कपसेठी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कपसेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मनोज कुमार निवासी ग्राम डुमरइथ थाना भभुआ जनपद कैमूर बिहार।

2—गोलू निवासी रसुलपुर थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।

3—बुद्धिराम निवासी ग्राम घोषिला थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 04 लाख 25 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 14 हजार 150 रूपये नगद आदि।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–दीपक 2–गजराज 3–सरजीत 4–हरिशंकर 5–अमित को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना सिकरीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना हुजूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 09 वर्ष 02 माह सश्रम कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हुजूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चोगे उर्फ हसीब को 09 वर्ष के 02 माह सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

–––––